<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

27/09/2024

प्रवर्तन निदेशालय)ईडी(, लखनऊ ने शराब निर्माण इकाई अर्थात मेसर्स कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड)सीसीएल(, टपरी सहारनपुर,)उप्र(से संबंधित, ग्राम यूसुफपुर मुस्तकम, सहारनपुर में औद्योगिक उपयोग के लिए विधिवत स्वीकृत 3.345 हेक्टेयर कृषि भूमि के रूप में 7.31 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम)पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने उप्र पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन कोतवाली सहारनपुर, यूपी और एसटीएफ द्वारा 04/03/2021 और 06/03/2021 को भा.दं.सं., 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स सीसीएल के निदेशकों/कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य के खिलाफ राज्य उत्पाद शुल्क से बचने के इरादे से उनके द्वारा निर्मित बेहिसाब शराब की अवैध बिक्री के लिए दर्ज दो प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की, जिससे सरकार को 34.73 करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान हुआ और उपरोक्त कंपनी के मालिक और उसके संबंधित व्यक्तियों को इसी अनुपात में लाभ हुआ।

ईडी की जांच से पता चला है कि सीसीएल के अधिकारियों ने सीएल-2 गोदाम मालिकों के साथ मिलीभगत करके सीएल-2 गोदाम मालिकों को एक ही गेट पास पर अवैध रूप से निर्मित देसी शराब की आपूर्ति के लिए नकली जाली बार कोड और क्यूआर कोड बनाने की साजिश रची। इसके बाद, राज्य उत्पाद शुल्क से बचने के इरादे से शराब को बिना किसी कागजी कार्रवाई के विभिन्न शराब की दुकानों/बाजारों में बेच दिया गया, जिससे सरकार को 34.73 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और उपरोक्त कंपनी के मालिक और उससे जुड़े लोगों को इसी तरह का लाभ हुआ।

इससे पहले मामले में 24/05/2023 और 03/05/2024 को 2 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे, जिसमें 27.42 करोड़ रुपये की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था। यह मामले में तीसरा अनंतिम कुर्की आदेश है। कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 34.73 करोड़ रुपये है, जो मामले में अपराध से अर्जित आय के बराबर है।

Co Operative Company Limited